संख्या-28/2020/206 ई-2/तेरह-2020-404(1)/85

प्रेषक

कृपा शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उ.प्र. प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 28 फरवरी, 2020

विषय:- मेसर्स होटल पंचम कॉन्टीनेन्टल (ए यूनिट ऑफ यूनिक कॉम्प्लेक्स प्रा.लि.), 204 बी, सिविल लाइन्स, स्टेशन रोड, बरेली को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-102/दो-प्रा.एम.बी.-2/लघु यवासवनी, दिनांक 24.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24.01.2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स होटल पंचम कॉन्टीनेन्टल (ए यूनिट ऑफ यूनिक कॉम्प्लेक्स प्रा.लि.), 204 बी, सिविल लाइन्स, स्टेशन रोड, बरेली को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन देने की स्वीकृति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का इकाई द्वारा अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।